न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 153/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामलाल पुत्र स्व0 प्रभुराम लोहार निवासी भींयासर हाल चाखू, तह0 घंटियाली, जिला फलौदी		1. मोहनराम पुत्र रावतराम 2. सुखाराम पुत्र सीताराम (जाति भार्गव, निवासी चाखू, तहसील घंटियाली, जिला फलौदी) 3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली जिला फलौदी **प्रफोर्मा पक्षकार** 4. आसी पुत्री प्रभूराम 5. उषा पुत्री प्रभूराम 6. कबूड़ी पुत्री प्रभूराम 7. जुगराज पुत्र प्रभूराम 8. जसराज पुत्र प्रभूराम 9. बाधु पत्नी प्रभूराम 10. बाबूराम पुत्र प्रभूराम (जाति लोहार, निवासी भींयासर, तहसील घंटियाली, जिला फलौदी)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध अपर जिला कलेक्टर फलौदी प्रार्थना पत्र सं0 03/2023 अंतर्गत नियम 14(4) आरएलआर एक्ट निर्णय दिनांक 08.05.24

उपस्थिति –
1. श्री सिद्धार्थ परिहार, प्रेमकुमार विश्नोई वकील अपीलांट
2. श्री पूनाराम विश्नोई, वकील रेस्पो0सं0 1 व 2
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 01.10.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि अपर जिला कलेक्टर फलौदी के अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 द्वारा अंतर्गत नियम 14(4) राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसील घंटियाली स्थित ग्राम चाखू के खसरा नं0 664 रकबा 50 बीघा भूमि का प्रभूराम पुत्र कुंभाराम लोहार के नाम पारित नामान्तरकरण संख्या 626 को प्रभूराम की सीमा तक निरस्त करने एवं ख0नं0 664 रकबा 4.2087 हैक्टर व ख0नं0 664/15 रकबा 2.7923 हैक्टर किस्म बी–4

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

को सिवायचक के रूप में दर्ज करने हेतु तहसीलदार घंटियाली को आदेशित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 –मोहनराम व सुखराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व अधि0 के तहत आंवटन आदेश कमांकः राजस्व/1978/119 निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसमें मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थीगण ग्राम चाखू के स्थायी निवासी है एवं ख0नं0 664 के नए ख0नं0 664 व 664/15 में स्थायी निवास करते है। उक्त खसरान में 15–20 कच्चे–पक्के मकान बने हुए है व अप्रार्थी सं0 2–आसी का मौके पर कब्जा नही है। ग्राम चाखू के ख0नं0 664 रकबा 100 बीघा भूमि किस्म बारानी–चतुर्थ में से 50 बीघा भूमि प्रभूराम के नाम जरिये नामान्तरकरण सं0 626 गैर खातेदार दर्ज किया गया। तत्पश्चात प्रभूराम का देहान्त हो जाने पर ना0क0 सं0 1665 इनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया। जो मात्र आवंटन आदेश के उल्लेख से ग्रा0पं0 द्वारा स्वीकृत करवाया गया, जिसे उक्त ना0क0 स्वीकृत करने का अधिकार नही था। आवंटन आदेश कमांकः राजस्व/1978/119 के अनुसार दिनांक 09.06.1976 को ना0क0 करने का उल्लेख है, आवंटन की विधिसम्मत प्रकिया अपना कर आवंटन नही हुआ है और न ही अप्रार्थी ग्राम चाखू के रहवासी व कब्जाकाश्त है। इसलिए उक्त तथाकथित आवंटन आदेश को निरस्त कर, उसकी पालना में भरा गया ना0क0सं0 626 में ख0नं0 664 में प्रभुराम की 50 बीघा भूमि आवंटन की सीमा तक गैर खातेदारी को निरस्त कर उक्त भूमि व ख0नं0 664/15 की भूमि को राज्य सरकार के नाम पुनः दर्ज करने का आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर स्वीकार करने में कानूनी एवं व्याक्याती भूल की है। क्योकि इस मामलें में नियम 14(4) राज0 भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत कोई कार्यवाही नही की जा सकती है, जिन परिस्थितियों में नियम 14(4) के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, वे परिस्थितियां वर्तमान मामले में निद्यमान नही थी।

अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की सिफारिश व रिपोर्ट के आधार उक्त आवंटन को खारिज किया है। आवंटन को निरस्त करने का कोई स्पष्ट कारण या कानूनी आधार की जांच किये बिना ही जल्दबाजी में फैसला कर दिया गया। इस नियम के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रावधानों में 46 वर्ष बाद कार्यवाही करने का कोई औचित्य नही था। आवंटी को भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं इतने लम्बे समय से आवंटी द्वारा इस पर काश्त एवं सुधार कार्य करवाये है। स्व0 प्रभुराम के वारिस अपने पारंपरिक धन्धे से एक जगह स्थाई रूप से नही रहते है तथा अलग–अलग गांवों में अस्थायी रूप से निवास करते है, केवल वर्षा काल में कृषि संबंधी कार्य हेतु उक्त भूमि पर आते है। उक्त कार्यवाही में अपीलार्थी के नोटिस विधिवत रूप से तामील नही करवाये गये। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत आंवटन आदेश कमांकः राजस्व/1978/119 निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण ग्राम चाखू के ख0नं0 664 के नए ख0नं0 664 व 664/15 में स्थायी निवास करते है। उक्त खसरान में 15–20 कच्चे–पक्के मकान बने हुए है व अप्रार्थी सं0 2–आसी का मौके पर कब्जा नही है। ग्राम चाखू के ख0नं0 664 रकबा 100 बीघा भूमि किस्म बारानी–चतुर्थ में से 50 बीघा भूमि प्रभूराम के नाम जरिये नामान्तरकरण सं0 626 गैर खातेदारी में दर्ज हुई थी। तत्पश्चात प्रभूराम का देहान्त हो जाने पर ना0क0 सं0 1665 द्वारा इनके वारिसान का नाम दर्ज किया गया। ना0क0 मात्र आवंटन आदेश के उल्लेख से ग्रा0पं0 द्वारा स्वीकृत करवाया गया था, जिसे उक्त ना0क0 स्वीकृत करने का अधिकार नही था। आवंटन आदेश के अनुसार दिनांक 09.06.1976 को ना0क0 करने का उल्लेख है, आवंटन की विधिसम्मत प्रकिया अपना कर आवंटन नही हुआ है और न ही अप्रार्थी ग्राम चाखू के रहवासी व कब्जाकाश्त है। प्रकरण में तहसीलदार घंटियाली की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि पायी जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष में विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट एवं अन्य प्रफोर्मा पक्षकार को सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये थे, जो लेने से इंकार की डाक रिपोर्ट के प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अतः अपील खारिज कर, अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

तहसीलदार घंटियाली के पत्रांक 1291 दिनांक 14.7.22 से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार घंटियाली से रिपोर्ट प्राप्त कर की गई है। उक्त रिपोर्ट में स्पष्टतः उल्लेखित है "कि ग्राम चाखू के ख0नं0 664 रकबा 100 बीघा, बी–4 सिवायचक भूमि में से आवंटन आदेश कमांकः राजस्व/1978/119 दिनांक 9.6.78 को प्रभूराम पुत्र कुम्भाराम लोहार निवासी भीयासर को 50 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। जो ना0क0सं0 727 से आवंटी के गैर खातेदारी दर्ज की गई। उक्त खसरे में से 7 बीघा भूमि सड़क में अवाप्त होने से शेष 43 बीघा भूमि दो खसरों में विभाजित हो गई। जिसके ख0नं0 664 व 664/15 बने। उक्त खसरा ग्राम की आबादी के पास होने से ग्राम चाखू के 15–20 पारिवार कच्चे व पक्के मकान बना कर निवास कर रहे है तथा आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नही है, अतः ख0नं0 664 व 664/15 रकबा 7.0010 हैक्टर गैर खातेदारी भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित होगा।" प्रकरण में अपीलांट एवं अन्य प्रफोर्मा पक्षकार–अप्रार्थी सं0 2 से 8 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस लेने से इंकार की डाक रिपोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है, अतः वकील अपीलांट का यह कथन कि उन्हें विधिवत नोटिस तामिल नही करवाये गये, मानने योग्य नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.24 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर